भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 851

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

भारत आटा और भारत चावल योजना

851. श्री राजेश रंजन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'भारत आटा' और 'भारत चावल' योजनाएं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई विभाग आवंटन, वितरण, निगरानी और शिकायत निवारण से संबंधित अपनी वैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को एकपक्षीय रूप से किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित कर सकता है या छोड़ सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो केंद्रीय भंडार द्वारा गेहूँ और चावल के कथित डायवर्जन (पथ परिवर्तन) की शिकायतों की जांच और समाधान करने के बजाय उन्हें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी) को भेजने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी) ने ऐसी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रस्तावित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न के आवंटन, वितरण और डायवर्जन से संबंधित शिकायतों को कार्य आवंटन नियमों के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी) द्वारा निपटाया जाए?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने सहकारी संगठनों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत आटा एवं भारत चावल की शुरुआत की। भारत आटा एवं भारत चावल के संबंध में डीएफपीडी की जिम्मेदारियों में इन संगठनों को गेहूं और चावल की मात्रा आबंटित करना, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करना और इन उत्पादों की बिक्री के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित करना शामिल है। भारत आटा एवं भारत चावल की खुदरा बिक्री का संचालन केंद्रीय सहकारी संगठनों, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एनएएफईडी), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार द्वारा किया जाता है, जो क्रमशः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

...2/-

(ख) और (ग): चूंकि केंद्रीय सहकारी संगठनों के आंतरिक संभार तंत्र और प्रक्रिया सुधार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की परिधि में आते हैं, इसलिए विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत ब्रांड उत्पादों की आपूर्ति के लिए इन संगठनों द्वारा स्थापित ट्रैक-एंड-ट्रेस तंत्र की समीक्षा और निगरानी करें। विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की आवधिक समीक्षा करें।

(घ) और (ङ): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में भारत आटा एवं भारत चावल स्कीम से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच केंद्रीय भंडार से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय भंडार के मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व वाली सतर्कता शाखा को भी भेजी गई। केंद्रीय भंडार ने सूचित किया है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए अनेक स्तरों के लेखापरीक्षण, जैसे वैधानिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा में केंद्रीय भंडार द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है।

*****